जारी हुए

...रण सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 22 ओ बी की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 68 के मु.न. 17,18,50/14 की कुल 3.288 हेक्टैयर भूमि के सम्बन्ध में यदि अप्रार्थी या अन्य किसी भी काश्तकार द्वारा कोई वाद, स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थिया को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो। तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे ।

21/12/22 आज यह पत्रावली पेशी मे ली गई। प्रार्थी को हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(क) CPC पेश किए हुए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:25:53 IST
Reason: SelfAttested